

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं.68

थाना कांड सं. -91 वर्ष-2021 थाना-माहिला पीएस जिला-बक्सर से उत्पन्न

=====

भोला कुमार पुत्र-बिनोद कुमार @ बिनोद कुमार गुप्ता निवासी-गोला बाजार बक्सर,
थाना-बक्सर नगर, जिला-बक्सर

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मंजीत गोंड ना निवासी गाँव-खरहतंद, थाना.-सिमरी, जिला-बक्सर वर्तमान में मारुति कॉलोनी द्वारा हाउस ऑफ बंशीधर यादव थाना.-औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बक्सर में रहते हैं।

..... प्रतिवादी/गण

=====

साथ

2023 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 125

थाना कांड सं.-91 वर्ष-2021 थाना-माहिला थाना- जिला-बक्सर

=====

नेपाली यादव @ नीरज यादव पुत्र - बिनोद यादव@ विनोद निवासी मोहल्ला-विश्वामित्र
कॉलोनी, निरंजनपुर (बरकी सरीमपुर), थाना-बक्सर (शहर), जिला-बक्सर।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मंजीत गोंड निवासी गाँव-खराहाटंद, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर, वर्तमान में- मरुतिकोलनी, द्वारा बंशीधर यादव का घर थाना-औद्योगिक क्षेत्र, जिला- बक्सर, पिन- 802101।

..... प्रतिवादी/गण

=====

साथ

2023 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 142

थाना कांड सं.- वर्ष-2021 थाना-माहिला थाना- जिला-बक्सर

=====

बबलू @ बबलू यादव, पुत्र-श्री भीम यादव, निवासी-बडकी सरीमपुर, थाना-बक्सर (इंड.),
जिला-बक्सर

अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मंजीत गोंड निवासी ग्राम-खराहाटंद, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर के निवासी वर्तमान में मारुति कॉलोनी द्वारा बंशीधर यादव का घर, थाना-औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बक्सर

..... प्रतिवादी/गण

=====

भारतीय दंड संहिता-धारा 376,376 (डी. बी.), 34-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012-धारा 6,3-3 सी. आर. पी. सी.-धारा 53 ए-पीडित, एक 12 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया कि दो अपीलार्थियों द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। निचली अदालत को पीडित की उम्र के मुद्दे पर आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह पीडिता के जन्म प्रमाण पत्र की तारीख से स्थापित हो गया था-बलात्कार के मामलों में अपराधियों की चिकित्सा जांच नहीं करने से अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर देगा-पीडिता ने अपीलकर्ताओं की पहचान नहीं की और अपीलकर्ता/भोला कुमार के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होने और जिसके बारे में उसने अपनी लिखित रिपोर्ट में बात की थी, उसके बारे में पूरी तरह से इनकार किया-पीडिता की मां सहित सभी गवाहों ने पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। एफएसएल रिपोर्ट पीडित की नैदानिक जांच के बिल्कुल विपरीत है-जहाँ तक अपीलार्थी/भोला कुमार का संबंध है, कोई सबूत नहीं है-अपीलार्थी/नेपाली यादव @नीरज यादव और बबलू @बबलू यादव को अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन मामले को किसी भी तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने में ढिलाई के लिए संदेह का लाभ दिया गया-दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया-अपील की अनुमति दी गई। (पैरा 23,31,32,35,40)

2023 (6) एससीसी 742,2019 (12) एससीसी 460 संदर्भित किया गया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं.68

थाना कांड सं. -91 वर्ष-2021 थाना-माहिला पीएस जिला-बक्सर से उत्पन्न

=====

भोला कुमार पुत्र-बिनोद कुमार @ बिनोद कुमार गुप्ता निवासी-गोला बाजार बक्सर,
 थाना-बक्सर नगर, जिला-बक्सर

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मंजीत गोंड ना निवासी गाँव-खरहतंद, थाना.-सिमरी, जिला-बक्सर वर्तमान में मारुति कॉलोनी द्वारा हाउस ऑफ बंशीधर यादव थाना.-औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बक्सर में रहते हैं।

..... प्रतिवादी/गण

=====

साथ

2023 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 125

थाना कांड सं.-91 वर्ष-2021 थाना-माहिला थाना- जिला-बक्सर

=====

नेपाली यादव @ नीरज यादव पुत्र - बिनोद यादव@ विनोद निवासी मोहल्ला-विश्वामित्र
 कॉलोनी, निरंजनपुर (बरकी सरीमपुर), थाना-बक्सर (शहर), जिला-बक्सर।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मंजीत गोंड निवासी गाँव-खराहाटंद, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर, वर्तमान में- मरुतिकोलनी, द्वारा बंशीधर यादव का घर थाना-औद्योगिक क्षेत्र, जिला- बक्सर, पिन- 802101।

..... प्रतिवादी/गण

=====

साथ

2023 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 142

थाना कांड सं.- वर्ष-2021 थाना-माहिला थाना- जिला-बक्सर

=====

बबलू @ बबलू यादव, पुत्र-श्री भीम यादव, निवासी- बडकी सरौमपुर, थाना-बक्सर (इंड.), जिला-बक्सर

अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
 2. मंजीत गौड निवासी ग्राम-खराहाटंद, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर के निवासी वर्तमान में मारुति कॉलोनी द्वारा बंशीधर यादव का घर, थाना-औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बक्सर
- प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

(2023 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 68 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता/गण के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभि
(2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 125 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता।
श्री रुद्रांक शिवम सिंह, अधिवक्ता।
उत्तरदाता/गण के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभि.

(2023 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 142 में)

अपीलार्थी/गण के लिए : श्री राघव प्रसाद अधिवक्ता
श्री चंद्र मोहन सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता/गण के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभि.

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी टैगिया

मौखिक निर्णय

(निर्णय: (द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि : 13-02-2024

तीनों अपीलों (कुल मिलाकर तीन अपीलार्थी) की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. हमने श्री अनिल कुमार सिंह अपीलकर्ता/भोला कुमार के विद्वान अधिवक्ता आप. अपील (खंड पीठ) सं. 68/2023 अपीलकर्ता/नेपाली यादव उर्फ नीरज यादव के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह को अप. अपील (खंड पीठ) सं. 125/2023 में और अपीलकर्ता/बबलू उर्फ बबलू यादव के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रमोहन सिंह द्वारा सहायता प्राप्त को आप. अपील (खंड पीठ) सं. 142/2023 में सुना।

3. तीनों अपीलों में श्री अभिमन्यु शर्मा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4. अपीलकर्ता/भोला कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का ससंरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि अपीलकर्ता/नेपाली यादव उर्फ नीरज यादव और बबलू उर्फ बबलू यादव को भ.द.सं. की धारा 376 (खंड पीठ)/34 और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है, दिनांक 17.12.2022 के फैसले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI सह-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बक्सर पॉक्सो बाद सं. 15/2022 2021 के बक्सर महिला थाना मामला संख्या 91 से उद्भूत। दिनांक 20.12.2022 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी/भोला कुमार को बीस साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने, 10,000/- का जुर्माना देने और जुर्माने का भुगतान करने में चूक करने पर, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अतिरिक्त तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है; जबकि अपीलार्थी/नेपाली यादव @नीरज यादव और बबलू @बबलू यादव को उनके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई है, प्रत्येक पर को 20,000/- का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर धारा 376 (खंड पीठ)/34 के तहत प्रत्येक को छह महीने के लिए साधारण कारावास।

5. एक बारह साल की लड़की ने प्राथमिकी दर्ज कराया है यह आरोप लगाया गया है कि दो अपीलार्थियों नेपाली यादव @ नीरज यादव और बबलू @ बबलू यादव ने उसके साथ बलात्कार किया था। 30.11.2021 और 01.12.2021 की रात में बलात्कार किया था।

6. उसके आरोप के अनुसार, उसकी माँ संगीता देवी (पी. डब्ल्यू. 6)। उसे अपीलार्थी/भोला कुमार जिसके साथ उसकी हाल ही में दोस्ती हुई थी के साथ टेलीफोन पर बात करते देखकर क्रोधित हो गई। उसे उसकी माँ ने थप्पड़ भी मारा था। दुखी महसूस करते हुए, वह अपने घर से बाहर आई और उस मिठाई की दुकान पर गई जहाँ अपीलार्थी/भोला कुमार काम करते थे। जब वह अपीलार्थी/भोला कुमार से बात कर रही

थी, तो दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और भोला कुमार को डरा कर भगा दिया। उन दोनों ने उसे अपने साथ उसके घर जाने के लिए कहा। वह शुरू में अनिच्छुक थी लेकिन बाद में उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और एक निर्जन घर में बंद कर दिया गया जहां उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया।

7. उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि इसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर उपर लिखित दो व्यक्तियों द्वारा बक्सर ले जाया गया और वहाँ से बस स्टैंड तक ले जाया गया और वहाँ छोड़ दिया गया। वह एक पुलिसकर्मी से मिली और उसे अपनी पीड़ा सुनाई। पूर्वनिर्दिष्ट पुलिसकर्मी, जिसकी मुकदमे में जाँच नहीं की गई है, उसे रिक्षे पर बैठा कर घर वापस ले आया।

8. इसके बाद, मामला।

9. वह अभियुक्त व्यक्तियों की बातों से सीख जानी कि वे अपीलकर्ता/नेपाली यादव @नीरज यादव और बबलू @बबलू यादव थे।

10. पीड़िता के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर बक्सर महिला थाना में 01.12.2021 को कांड सं० 91/2021 दिनांक 01.12.2021 को भा.दंड.संहिता की धारा 376 (डी); 2012 की पाँक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (i), डब्लू (ii) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

11. पुलिस ने जाँच के बाद सभी अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

12. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से तेरह गवाहों से पूछताछ करने के बाद, अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था।

13. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि पीड़ित द्वारा अदालत में अपीलार्थियों में से किसी की पहचान नहीं करने की स्थिति में, अभियोजन मामले (पी डब्लू-6) का मूल ताना-बाना नष्ट हो गया। अन्यथा भी, यह तर्क दिया गया है कि पीड़ित और उसकी माँ अर्थात् संगीता देवी सहित कोई

भी गवाह नहीं है ने किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। अपीलार्थियों की ओर से दिया गया दूसरा तर्क यह है कि भले ही अपीलार्थियों को रिपोर्ट की गई घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी भी चिकित्सा जांच के अधीन नहीं किया गया जैसा कि आप.दंड.सं. की धारा 53ए के तहत अनिवार्य था। यहां तक कि पीड़ित के अल्पव्यस्कता के संबंध में भी, निचली अदालत के लिए अपीलार्थियों/अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष अदालत के रूप में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए उम्र का कोई निर्धारण नहीं था। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़ित और उसकी माँ के इस तरह के पूर्वाग्रहपूर्ण रुख और घटना के बारे में अन्य गवाहों की पूर्ण अज्ञानता के साथ, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा अत्यधिक अनुचित है और किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

14. हमने अभिलेख पर साक्ष्य की कुछ विस्तार से जांच की है।

15. जितेंद्र कुमार ठाकुर, पप्पु गुप्ता और लक्ष्मण यादव (पीडब्ल्यू 1 से 3) ने घटना के बारे में अपनी पूर्ण अज्ञानता दिखाई है। उन्होंने अपीलकर्ताओं में से किसी की पहचान नहीं की। उन सभी को प्रतिरोधी घोषित कर दिया गया है

16. अपीलार्थी/भोला कुमार का नियोक्ता विष्णु जी गुप्ता को पी. डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षण किया गया है। हालाँकि उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, लेकिन उन्होंने अपने मुख्य प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उन्होंने अपीलकर्ताओं/नेपाली यादव @नीरज यादव और बबलू @बबलू यादव को भोला कुमार के साथ लड़ते देखा है। हालाँकि, उन्हें इस तरह की लड़ाई का कारण नहीं पता था। वे पहले भी लड़ चुके थे। यही कारण था कि उनके बीच विवाद के कारण के बारे में आगे कोई पूछताछ नहीं की। केवल 01.12.2021 पर ही उन्हें पता चला कि अपीलकर्ताओं में एक लड़की को लेकर लड़ाई हुई थी। हालाँकि, चूंकि उसने पीड़ित को सुनसान जगह पर ले जाने और कई बार बलात्कार किए जाने के अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया, इसलिए उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।

17. पीड़ित की माँ (पीडब्ल्यू. 6) ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया कि उनकी बेटी ने किसी भी अपीलार्थी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने व्यक्त किया है कि वह दोषियों की पहचान कर सकती है। वह चौबीस घंटे के भीतर वापस आ गई। उसे यह भी पता नहीं था कि पीड़ित अपीलार्थी/भोला से बात कर रही थी जब उसने

उसे थप्पड़ मारा था। उसने पुलिस के सामने कोई बयान देने से इनकार किया है और दावा किया है कि उसे एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था।

18. पीड़ित स्वयं (पी. डब्ल्यू. 5) बहुत निश्चित नहीं थी कि क्या वह अपीलार्थियों की पहचान करने में सक्षम होगी, अगर उसे दिखाया जाए और वास्तव में उसने अपीलार्थियों में से किसी एक की पहचान नहीं की यहां तक कि अपीलार्थी/भोला की भी नहीं, जिनके बारे में उसने प्राथमिकी में खुलासा किया था कि वह कुछ समय के लिए उसके साथ दोस्ताना हो गई थी और वह अपनी माँ द्वारा वार किए जाने के बाद ही उसके पास गई थी। दिखाए जाने पर, पीड़ित ने किसी भी अपीलार्थी की पहचान नहीं की। जिरह में भी, उसने दोहराया कि किसी भी अपीलार्थी द्वारा उसका बलात्कार नहीं किया गया था।

19. डॉ. भारती द्विवेदी (पीडब्लू 8) ने 01.12.2021 को पीड़िता की जांच की थी, यानी जिस दिन वह फिर से सामने आई थी। निजी भाग की जांच से पता चला कि हाइमेन में टूटना पुराना था और किसी हाल के अतीत का नहीं था। पीड़ित के शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई अन्य घर्षण या चोट नहीं पाई गई। योनि स्वैब जांच से आगे पता चला कि शुक्राणुओं की कोई उपस्थिति नहीं थी, या तो जीवित या मृत। हालाँकि, यह सूक्ष्म परीक्षण की कम और उच्च शक्ति पर था। फिर भी, कुछ उपकला कोशिकाओं और मवाद- कोशिकाओं का पता लगाया गया था। उन्होंने समझाया कि आम तौर पर पुराने टूटने के मामलों में प्रभाव का आकलन करना मुश्किल होगा। पीड़ित की तत्काल जाँच पर, मृत या जीवित शुक्राणुओं की अनुपस्थिति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई यौन हमला नहीं हुआ है।

20. पुलिस अधिकारी अर्थात करुणा देवी (पीडब्लू 9) ने मामले की जांच की थी, जो पीड़िता को उसकी चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले गई थी और उसने आप.दंड.सं. की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करना भी सुनिश्चित किया था। उसने अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे और अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।

21. उसके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उसने अपीलार्थियों की चिकित्सकीय जांच कराई थी, भले ही उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप था जैसा कि आप.दंड.सं. की धारा 53 ए के तहत अनिवार्य था।

22. पीड़ित के अंडरगारमेंट्स को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। परीक्षा रिपोर्ट (साक्ष्य, पी-12), हालांकि, दर्शाता है कि

अंडरगारमेंट पर जगह-जगह लाल भूरे रंग के दाग थे। कुछ धूसर-सफेद दाग थे जिन्होंने अंडरगारमेंट को महसूस करने पर कड़ा कर दिया था और पराबैंगनी प्रकाश में विशिष्ट नीले-सफेद प्रतिदीप्ति का भी उत्पादन किया था। जगह-जगह खून भी मिला। अंतर्वस्त्र में रक्त मिश्रित वीर्य भी पाया गया। हालाँकि रक्त और वीर्य की उत्पत्ति और समूह पर सीरोलॉजिकल रिपोर्ट, अपीलार्थियों की ओर किसी भी आरोप लगाने वाली उंगली की गारंटी देने के लिए कुछ नहीं कहा।

23. पीड़ित, निश्चित रूप से, लगभग बारह वर्ष की थी, जो पीड़ित के जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, जो 01.01.2010 है, जो विचारण न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया था। यह घटना कभी-कभी 30.11.2021 और 01.12.2021 के बीच किसी समय हुई थी।

24. इसलिए, हम पाते हैं कि निचली अदालत को विशेष पॉक्सो अदालत के रूप में अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए पीड़ित की उम्र के मुद्दे पर आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी।

25. पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 34 (2) यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई "व्यक्ति" बच्चा है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे "व्यक्ति" की आयु के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद किया जाएगा और वह ऐसे निर्धारण के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

26. पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 34 (1) विशेष न्यायालय द्वारा एक बच्चे द्वारा अपराध करने और आयु के निर्धारण के मामले में प्रक्रिया का प्रावधान है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) में "बच्चे" के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द का उपयोग करने का एक विशेष कारण है।

27. पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए यदि विशेष न्यायालय की आवश्यकता है किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे।

28. धारा 34 के अधिदेश को विस्तारित नहीं किया जा सकता है और इसका अर्थ यह है कि ऐसा विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण हमेशा विशेष न्यायालय के

लिए विचारण के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए।

29. पीड़िता का बच्चा होने चिकित्सकीय मूल्यांकन किया गया था। यह सच है कि जिस डॉक्टर ने पीड़िता के वापस आने के तुरंत बाद पहली बार उसकी जांच की थी, उसने एक विस्तृत श्रेणी की प्रस्तावित उम्र दी; हालाँकि, अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी अपना मुकदमा चलाने के लिए पॉक्सो अदालत के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई थी। मुकदमे के दौरान भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर आपत्ति नहीं की गई थी।

30. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थियों का यह तर्क कि पीड़ित की आयु के विशिष्ट निर्धारण की स्थिति में निर्णय अमान्य होगा, योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

31. प्रावधानों का पालन न करना आप.दंड.सं. की धारा 53ए में निहित, बलात्कार के मामलों में दोषियों की चिकित्सा जांच कराने से अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष को कमजोर कर देगा। अभियोजन मामला (*छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 (6) एस. सी. सी. 742 और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2019 (12) एस. सी. सी. 460 का संदर्भ लें*)।

32. यह कहने के बाद, हम पाते हैं कि अभियोजन संस्करण वहाँ पर लड़खड़ाता है। पहला, पीड़िता द्वारा अपीलार्थियों की पहचान नहीं करने के लिए और दूसरा, पीड़िता द्वारा अपीलार्थी/भोला कुमार के साथ अपने परिचित होने के बारे में पूरी तरह से इनकार करने के लिए, जिनके साथ उसने अतीत में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए थे और जिसके बारे में उसने अपनी लिखित रिपोर्ट में बात की थी; और पीड़िता की मां सहित सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया था।

33. हालाँकि पी. डब्ल्यू. 4, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन उनके साक्ष्य से केवल जिस बात का अनुमान लगाया जा सकता है वह यह है कि अपीलार्थियों का एक लड़की के संबंध में कुछ विवाद था और शायद वह पीड़िता थी।

34. हालाँकि, यह कमजोर सबूत अभियोजन पक्ष को कहीं नहीं ले जाएगा।

35. इसके अलावा, यहाँ तक कि प्रदर्श पी-12 और पी-13 का अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों की श्रृंखला बनाने के लिए कोई संबंध नहीं होगा। अन्यथा भी, एफ. एस. एल. रिपोर्ट डॉ. भारती द्विवेदी (पी. डब्ल्यू. 8) द्वारा 01.12.2021 को पीड़िता की नैदानिक जांच के बिल्कुल विपरीत है।

36. यह मानते हुए लेकिन यह स्वीकार नहीं करते हुए कि पीड़ित के अंतर्वस्त्र पर रक्त मिश्रित वीर्य के धब्बे थे, अपीलकर्ताओं के वीर्य या रक्त के किसी भी मिलान के अभाव में प्रदर्श पी-12 और पी-13 की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

37. इस प्रकार, सभी कोनों से मामले की जांच करते हुए, हमें राय को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं मिलता है। अपीलार्थियों के अपराध के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राय को बरकरार रखने को कोई कारण नहीं मिलता है।

38. पीड़िता को केवल सांत्वना मिली थी अपीलार्थी/भोला कुमार, जब उसे दो अन्य अपीलार्थी ले गए थे। लिखित रिपोर्ट को पढ़ने पर, यह प्रतीत होता कि दो अन्य अपीलार्थी अर्थात् नेपाली यादव उर्फ नीरज यादव और बबलू उर्फ बबलू यादव ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, लेकिन पूरे अभिलेख के मूल्यांकन पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन बहुत अस्थिर प्रतीत होता है।

39. जहाँ तक अपीलार्थी/भोला कुमार का संबंध है, कोई सबूत नहीं है और हमारा मानना है कि इस मामले में उनका अभियोजन भी अनुचित था।

40. अपीलार्थी/नेपाली यादव @नीरज यादव और बबलू उर्फ बबलू यादव को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन मामले को किसी भी तार्किक स्तर पर ले जाने में ढिलाई बरती गई है।

41. उपर्युक्त कारणों से, हम दोषसिद्धि और सजा के आदेश के फैसले को दरकिनार करते हैं और अपीलकर्ताओं को बरी करते हैं, जिससे अपीलकर्ताओं/नेपाली यादव @नीरज यादव और बबलू @बबलू यादव को संदेह का लाभ मिलता है और अपीलकर्ता/भोला कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

42. सभी याचिकाकर्ता जेल में हैं।

43. उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में हिरासत आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए।

44. तदनुसार, सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

45. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

46. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

47. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, को भी तदनुसार निपटाया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

मनोज/कृष्ण -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।